CNR NO-UPRN12-001183-2024

न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट,भोगनीपुर, कानपुर देहात ।

परिवाद सं० 800/2024

राजीव कुमार बनाम शमसुद्दीन खान आदि ।

थाना –भोगनीपुर , कानपुर –देहात ।

18–04–2025

पत्रावली पेश हुई । पुकार करायी गयी । प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता की तलबी बहस पूर्व नियत तिथि पर सुनी जा चुकी है । पत्रावली वास्ते आदेश नियत है ।

प्रार्थी की ओर से कथन किया गया है कि प्रार्थी ईंट भट्ठे आर०एस०के० इण्टर प्राइजेज गौरीकरन थाना भोगनीपुर कानपुर देहात में मुनीम है । उसके भट्ठा मालिक का नाम ऋषि है । मुल्जिमान लेवर सप्लायर हैं । दिनांक 09–09–2023 को समय करीब तीन बजे मुल्जिमान उसके घर आये उसके साथ भट्ठे पहुंचे लेबर उपलब्ध कराने के बावत वार्तालाप किया जिसमें तय हुआ कि लेबर 780 रूपये प्रति हजार ईंट पाथेंगें जिसमें उसका कमीशन भी 30 रूपये तय था उसी पैसे से लेबर को लकड़ी ,बालू ,मिट्टी खुदाई व प्रतिदिन की दर से 1500 सौ ईंटा पाथना होगा मुल्जिमानों को दो लाख रूपये बतौर पेशगी एडवान्स दिये जायेगे व आने जाने का किराया फर्म से दिया जायेगा । दो लाख रूपये वापस प्राप्त करने हेतु लेवर की पथाई से पचीसा काटा जायेगा । मुल्जिमानों द्वारा 20 जुट लेबर भट्ठे में पथाई के लिए दी जायेगी । उससे पेशगी के तौर पर एक लाख रूपया दिनांक 09–09–2023 को मुल्जिमान शमसुद्दीन ने धर्मेन्द्र सिंह को नगद दिलाये व दिनांक 30–09–2023 को शमसुद्दीन को पेशगी के तौर पर एक लाख रूपये नगद दिये व अभियुक्त सं० 2 फिरोजखान की गाड़ी में डीजल डलवाने के लिए एक हजार दिनांक 30–09–2023 को गूगल पे से प्रभात कुमार के खाते से ट्रान्सफर करवाये व दिनांक 12–11–2023 को 4000/–रूपये दिनांक 07–10–2023 को 3000/–रूपये ,दिनांक 25–10–2023 तीन किश्तों में कुल 85000/–भट्ठा मालिक ऋषि कुमार के खाते से ट्रान्सफर करवाये । उक्त सब धन देने के बाद उसने मुल्जिमान शमसुद्दीन से कई बार लेवर भट्ठे में भेजने को कहा परन्तु आज तक कोई लेवर नहीं भेजा । जब वह उक्त लोगों से लेवर की मांग करता है तो मुल्जिमान न तो लेवर भेजते हैं और न ही पैसे देते हैं तथा गाली गलौज करते है और जान से मारने की धमकी देते हैं । उसने मुल्जिमानों को पैसा वापस करने के लिए लीगल नोटिस प्रेषित किया परन्तु किसी ने उसका पैसा वापस नहीं किया तब उसने दिनांक 14–03–2024 को थाना भोगनीपुर कानपुर देहात को एक शिकायती प्रार्थना पत्र दिया किन्तु कोई कार्यवाही नहीं हुई तो घटना के सम्बन्ध में पुलिस अधीक्षक कानपुर देहात को जरिये रजिस्टर्ड डाक प्रार्थना पत्र प्रेषित किया किन्तु आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई तो उक्त प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 156(3) द०प्र०सं० माननीय न्यायालय में दाखिल किया ।

प्रस्तुत प्रकरण को न्यायालय आदेश दिनांकित 16–08–2024 के द्वारा परिवाद के रूप में दर्ज किया गया।

परिवादी की ओर से परिवाद पत्र के समर्थन में स्वयं का बयान अन्तर्गत धारा 200

Digitally signed by SUNIL GUPTA
Date: 2025.04.18 16:01:47 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

द०प्र०सं० तथा गवाहान पी०डब्लू० 1 कृपाशंकर व पी०डब्लू० 2 ऋषि कुमार का बयान अन्तर्गत धारा 202 द०प्र० सं० कराया गया है।

सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया ।

परिवादी द्वारा अपने बयान अंतर्गत धारा 200 दं प्र०सं० में कथन किया गया कि प्रार्थी के भट्ठे के मालिक का नाम ऋषि है । दिनांक 09–09–2023 को समय करीब तीन बजे समसुद्दीन ,फिरोज अली, धर्मेन्द्र उसके पास भट्ठा लिखाने के लिए आये थे । बयाना उसके द्वारा एक लाख रूपये समसुद्दीन को दिया गया । दिनांक 30–09–2023 को दूसरी बार उसके द्वारा दो लाख रूपये पेशगी स्वरूप समसुद्दीन को पथाई के लिए दिया गया और एक हजार रूपये डीजल के लिए प्रभात कुमार के खाते से दिया गया । समसुद्दीन द्वारा कहा गया कि अब वह लोग बार बार नहीं आयेंगे और अब जब आयेंगे तो लेबर के साथ आकर काम शुरू करेंगे । फिर दिनांक 07–10–2013 को मालिक ऋषि कुमार के खाते से चालीस हजार रूपये समसुद्दीन के खाते में डाला । उसके द्वारा बार बार कहने पर की अब तो आपको भट्ठे के कार्य के लिए पेशगी दे दी गयी है । लेबर को भेजो लेकिन समसुद्दीन द्वारा भट्ठे के कार्य हेतु लेबर नहीं भेजा गया । दिनांक 12–11–2023 को ऋषि के खाते से पुनः पन्द्रह हजार रूपये समसुद्दीन के खाते में ट्रान्सफर किया गया । उसके द्वारा बार बार समसुद्दीन के घर जाकर कहा गया कि रूपये तो सभी एडवांस ले लिया अब उसका काम पूर्ण करो । लेकिन समसुद्दीन ने मना कर दिया और कहा कि दुबारा यहां आना मत नहीं तो मारेंगे । इस प्रकार समसुद्दीन उसका रूपया लेकर उसका कार्य नहीं किया । इस प्रकार अभियुक्त शमसुद्दीन खान द्वारा छल कर बेईमानी पूर्वक पैसा हड़पने का प्रथम दृष्टया अपराध होना प्रतीत होता है। शेष विपक्षीगण के विरूद्ध प्रथम दृष्टया अपराध कारित किया जाना प्रतीत नहीं होता है । अतः सम्पूर्ण तथ्य एवं परिस्थितियों व परिवादी तथा उसकी तरफ से परीक्षित साक्षियों के बयान को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्त शमसुद्दीन खान को अन्तर्गत धारा 420 भा०द०सं० में तलब किये जाने के पर्याप्त आधार हैं।

आदेश

अभियुक्त शमसुद्दीन खान को धारा–420 भा०दं०सं० में तलब किया जाता है। परिवादी अन्दर सप्ताह पैरवी करे। पत्रावली दिनांक 07–05–2025 को पेश हो।

दिनांक 118–04–2025

(सुनील गुप्ता)
न्यायिक मजिस्ट्रेट,
भोगनीपुर, कानपुर देहात ।
I.D.No.3805